

श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक—
01.07.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 09:30 बजे संपन्न प्रशाखा-01 की समीक्षात्मक
बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
2. श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
4. सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
5. श्री रवि कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, खेल विभाग।

I. सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(1) निदेशालय का गठन

निदेशालय को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने तथा क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना से संबंधित एवं निदेशालय से संबंधित सभी संचिकाएँ निदेशालय को हस्तांतरित करने की कार्यवाही विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।

प्रत्येक प्रशाखावार बैठक में निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(2) आयोग को प्रेषित अधियाचनाएँ

(क) विभाग एवं निदेशालय के पदों

I. बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल स्वीकृत पद— 380 है, जिसमें 379 पद रिक्त है। 379 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या—08/2025 प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप आयोग ज्ञापांक—1921/आ0, दिनांक—04.05.2026 द्वारा खेल विधावार

2-7-26

कोटिवार रिक्तियों की विवरणी एवं पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

II. बिहार खेल सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल सेवा संवर्ग के मूल कोटि के कुल पद—44 है। जिसमें प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पद—11 एवं रिक्त पद 33 है। 33 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सम्पन्न एवं परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की जा रही है।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

III. बिहार खेल लिपिकीय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल लिपिकीय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर निम्नवर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद—80 है। जिसमें सीधी भर्ती हेतु पद—68, कार्यरत बल—12, सीधी नियुक्ति के आधार पर कोटिवार कार्यरत पद— 15 इसके पश्चात् रिक्त पद—53 है। 53 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लिखित परीक्षा का संभावित तिथि जून—जुलाई—2026 दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर

कुल 81 पद स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लिए स्वीकृत कुल 81 पदों में से 02 पदों के नियुक्ति नियमावलियों का गठन किया गया है

निम्नवर्गीय लिपिक के लिए कुल पद— 10 हैं, जिसमें कार्यरत पद एक भी नहीं है। 10 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी



चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जून-जुलाई, 2026 दिया गया है।

राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग के कुल- 48 पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अध्यापना सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को भेजी जा चुकी है एवं आयोग द्वारा विज्ञापन (विज्ञापन सं0-33/2025) प्रकाशित किया जा चुका है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन- श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ग) प्रतिनियुक्ति के शेष पद निम्न है:-

I. वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific officer)

उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक- 01-04018(01)/13/2026-66 एवं दिनांक- 07.05.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर हेतु वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु अफसर उपलब्ध नहीं है। तथापि भविष्य में यदि इस संबंध में कोई अवसर उपलब्ध होते हैं तो यथोचित विचार किया जायेगा।

(अनुपालन- श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(घ) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा कुल 301 पदों का प्रस्ताव निर्गत हो चुका है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया है और कार्यकारणी समिति से अनुमोदन किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से **HR Manual** पर सहमति दी गई है। संचिका वित्त विभाग को भेजी दी गई है। वित्त विभाग से संशोधन/समीक्षा के परामर्श के साथ संचिका वापस प्राप्त हुई है। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अपेक्षित संशोधन करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से अनुरोध किया गया।



बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से संशोधित **HR Mannual** प्राप्त हो चुका है।

उक्त संशोधित **HR Mannual** में वित्त विभाग के परामर्श/आपत्ति के अनुरूप पूर्ण संशोधित नहीं किये जाने के कारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से पूर्ण संशोधित **Mannual** उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।

(सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(3) सेवान्त लाभ

(क) पूर्व से लंबित सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सेवानिवृत्त संबंधी सभी मामले का निष्पादन हो गया है, जो निम्नवत् है:-

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम	पद-नाम	पदस्थापित कार्यालय	सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवांत लाभ की स्थिति
1	श्री बैधनाथ सिंह	निम्नवर्गीय लिपिक	मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना	28.02.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
2	श्री देवनारायण पासवान	कार्यालय परिचारी	जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, सहरसा	31.05.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
3	श्री किरण कुमार झा	उच्चवर्गीय लिपिक	मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना	30.06.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
4	श्री जय शिवशंकर प्रसाद विद्यार्थी	कार्यालय परिचारी	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कटिहार	30.06.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
5	श्री उमाशंकर दुबे	कार्यालय परिचारी	प्राचार्य, बी०पी० सिन्हा, शा०शि०, महाविद्यालय, पटना	30.11.2026	विभागीय पत्रांक-89, दिनांक-10.06.2026 द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने हेतु महालेखाकार कार्यालय से अनुरोध किया गया है।

श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग एवं श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय द्वारा बताया गया कि सेवान्त लाभ का कोई मामला विभाग एवं निदेशालय में लंबित नहीं है।

(R)

(ख) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों, पदाधिकारियों की सूची तैयार कर संचिका में प्रस्तुत करेंगे। उन सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से सेवानिवृत्त संबंधी सभी कागजात प्राप्त कर सेवान्त लाभ को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी-01 को निदेशित किया गया कि 31 दिसम्बर 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची अवलोकनार्थ हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(4) ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0

खेल विभाग में ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 विचारण के निमित्त स्क्रीनिंग कमिटी के गठन हेतु संचिका उपस्थापित किया गया है।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(5) न्यायालय से संबंधित मामले

(क) माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले की सूची सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार की जायेगी।

(ख) यदि न्यायालय आदेश के अनुपालन की आवश्यकता है तो अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि अपील करने की या आदेश का संशोधन करने की आवश्यकता है तो विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर अपील दायर करने की कार्रवाई की जाय।

(ग) न्यायालय का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह का लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)



(6) अवकाश

(क) सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव अवकाश के लिए आवेदन संचिका के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित करेंगे।

(ख) अतिआवश्यक परिस्थिति को छोड़कर बैठक के दिन (सोमवार एवं बुधवार) को कोई भी कर्मी अवकाश में नहीं रहेंगे।

(ग) वर्ग चार के कर्मियों का अवकाश संयुक्त सचिव स्वीकृत करेंगे।

(अनुपालन-- श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी)

II. सामान्य प्राथमिकताएँ

(1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे।

पदाधिकारियों/कर्मियों के समय पर कार्यालय आने-जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाय।

कार्यालय अवधि 09:30 पूर्वाह्न से 6:00 अपराह्न

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मी	विलम्ब/समय पूर्व प्रस्थान की तिथि	आगमन के समय उपस्थिति	प्रस्थान के समय उपस्थिति दर्ज नहीं होने की तिथि	अभियुक्ति
1.	श्री उमाकान्त प्रसाद, (अवर सचिव)	23.06.2026	—	01 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ।	—
2.	श्रीमती नूपुर झा, (उप निदेशक)	23.06.2026,	09:36:11	—	—
3.	श्री दिग्गज कुमार, (प्रशाखा पदाधिकारी)	24.06.2026,	09:10:24	01 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ।	—
4.	श्री मुकूल कुमार, (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)	23.06.2026 एवं 25.06.2026	—	02 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ।	—

5.	श्रीमती अम्बिका कुमारी, (उच्चवर्गीय लिपिक)	25.06.2026	09:31:15	—	—
6.	श्री अनुज कुमार कुमुद, (निम्नवर्गीय लिपिक)	25.06.2026	17:59:54	—	—
7.	श्री कुन्दन कुमार साह, (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)	23.06.2026	09:19:31	01 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ।	—

कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय आने-जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में प्रायः देखा जा रहा है कि कुछेक पदाधिकारियों/कर्मियों विलम्ब से कार्यालय आते-जाते हैं। निदेश दिया जाता है कि एक माह में दो दिन विलम्ब होने पर एक अकास्मिक अवकाश की कटौती की जाय। तदोपरांत सुधार नहीं होने की स्थिति में एक दिन का वेतन कटौती की जाय।

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।



(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष 2026-27 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है।

III. नवाचार

(1) ई-ऑफिस

प्रत्येक प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो संचिकाओं का स्कैनिंग हो चुका है, वह किसी भी स्थिति में ई-ऑफिस के माध्यम से ही उपस्थापित किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि 1280 संचिकाओं के स्कैनिंग का कार्य सम्पन्न के पश्चात् संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के आई0डी0 में भेजा जा चुका है।

शेष संचिकाओं को पदाधिकारियों/कर्मियों के आई0डी0 में एक सप्ताह के अन्दर भेजे जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश आई0टी0 मैनेजर को दिया गया।

उक्त के संबंध में आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित हो ले कि सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के आई0डी0 पर संचिका अद्यतन है या नहीं?

(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।



प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / उच्चवर्गीय लिपिक / निम्नवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है।

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

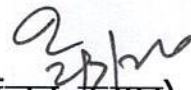
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में सभी पदाधिकारी / कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आईटी प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक सचिव के अवकाश / व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश / व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश / व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

(IV) समस्या / सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।


(निरंजन कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01 / स्था0-10(बैठक)-02 / 2026.24.56

पटना / दिनांक-3.7.2026

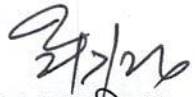
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल) के आशुलिपिक /संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा,युवा एवं योजना) /प्रशाखा पदाधिकारी-01/आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

⑩
2-2-26


संयुक्त सचिव।